माइक्रोवेव प्रोजेक्ट, कोटा एवं अन्य

बनाम

रमेश चन्द

जुलाई 18, 2007

(डाॅ. अरिजीत पासायात और एस.एच. कपाडिया, जेजे.)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

धारा 25-एफ और धारा 2(oo)(bb) विशिष्ट परियोजना के लिये नियुक्त सामयिक श्रमिक और पूरा होने पर कार्य से मुक्त - न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने माना कि उसकी अभिमुक्ति सही नहीं थी और धारा 25-एफ की अनिवार्य अपेक्षा के उल्लंघन में की गई थी - अपील में अभिनिर्धारित किया गया धारा 25-एफ लागू होने का प्रश्न धारा 2(oo)(bb) के लागू होने से संबंधित मूल प्रश्न पर निर्भर करता है - यह पहलू नजरअदांज हो गया - मामला न्यायाधिकरण को प्रेषित किया गया।

प्रत्यर्थी को अपीलकर्ताअ◌ो◌ं के द्वारा एक विशिष्ट परिया◌ेजना के लिये एक सामयिक मजूदर के रूप में नियुक्त किया गया था □ □□□□□□□□ □□□□ होने के बाद तथा कार्य पूरा होने के बाद प्रत्यर्थी को उसकी नौकरी से अभिमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी का कार्यालय भी समाप्त कर दिया गया क्योंकि काम □ □ कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रत्यर्थी ने अभिमुक्ति को चुनौती दी है।

औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी की स्थापना में **240** दिन काम किया**,** इसलिये उसकी कार्य मुक्ति सही नहीं थी क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा **25-**एफ की अनिवार्य अपेक्षाआेंं का उल्लंघन हुआ। सेवा से निष्कासन धारा **2(oo)** के तहत छंटनी के □□□□□ □□ और **30** प्रतिशत बकाया वेतन के साथ बहाल किये जाने के आदेश दिये गये। उच्च न्यायालय ने आदेश को पुष्ट किया और इसलिये वर्तमान अपील पेश की गई।

अपील की अनुमति देते हुये और मामले को न्यायाधिकरण को प्रेषित किया गया।

न्यायालय ने माना कि न्यायाधिकरण इस मामले पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करने में विफल रहा है। धारा **2(oo)(bb)** औद्योगिक विवाद अधिनियम **1947** के प्रभाव को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। इसमें कोई विवाद नहीं था □□ रोजगार विशिष्ट परियोजना के लिये था। न्यायाधिकरण के समक्ष पेश विभिन्न सामग्री पर कोई विचार नहीं किया गया। उच्च न्यायालय के आदेश इस आधार पर दिये गये कि धारा **25-**एफ के आवश्यक अपेक्षा की अनुपालना नहीं की गई इसलिये उक्त □□□ निर्णय उचित था। अधिनियम की धारा **25-**एफ के लागू होने का प्रश्न अधिनियम की धारा **2(oo)(bb)** के लागू होने के मूल प्रश्न पर निर्भर होगा। यह पहलू नजरअंदाज कर दिया गया। [पैरा **6] [405** ई एफ**]**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2005 की सिविल अपील संख्या 2851

राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ जयपुर 2000 के विशेष अपील (रिट संख्या 2000) 194 के साथ सिविल स्थगन आवेदन क्रमांक 1155 वर्ष 2000 सिविल रिट याचिका संख्या 4276 वर्ष 1999 में दिनांक 04-02-2004 के निर्णय एवं आदेश से

वी.के. शुक्ला, ए.के. त्रिपाठी और के.के. मोहन अपीलकर्ता की ओर से

अजय चौधरी प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय निर्णय न्यायाधिपति डाॅ. अरिजीत पासायात द्वारा सुनाया गया।

1- इस अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ की एक खंडपीठ द्वारा पारित आदेश जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा दायर विशेष याचिका को खारिज किया गया, को चुनौती दी गई है

2- पृष्ठभूमि के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है किः

प्रत्यर्थी माइक्रोवेव परियोजना बोराबास के सहायक अभियन्ता द्वारा माइक्रोवेव टावर में नट और बोल्ट लगाने के कार्य के लिये एक सामयिक श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया। माइक्रोवेव टावर के चालू होने के बाद और काम के खत्म होने के बाद प्रत्यर्थी को दिनांक 01-12-1987 को उसके कार्य से मुक्त कर दिया गया। माइक्रोवेव का कार्यालय भी बंद कर दिया गया क्योंकि वहां पर काम की कोई आवश्यकता नहीं थी और किसी भी स्थिति में यह केवल सामयिक प्रकृति का था। प्रत्यर्थी ने इस आशय पर विवाद उठाया कि उसकी सेवाआें की समाप्ति अवैध है। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार से दिनांक 30-09-1991 के आदेश के तहत औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 10(1) के तहत निम्नलिखित विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण (केन्द्रीय) कोटा राज. से संदर्भित किया गया है।

"क्या सहायक अभियन्ता, माइक्रोवेव परियोजना, कोटा और एलईटी जयपुर द्वारा एईएन माइक्रोवेव परियोजना कोटा के लावतभाटा के

सामयिक श्रमिक श्री रमेशचन्द पुत्र जानकीदास की सेवायें दिनांक 01-12-1987 को समाप्त किया जाना उचित है? यदि नहीं तो संबंधित कर्मचारी किस राहत का अधिकारी है?''

3- आवेदक की ओर से यह दलील दी गई कि उसकी नियुक्ति दिनांक 08-12-1986 को सामयिक मजदूर के रूप में हुई थी और उसने 12 कलैण्डर महिने में 240 दिन से अधिक समय कार्य किया है इसलिये उसे कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी ने यह रूख अपनाया कि प्रत्यर्थी को कार्य के लिये कोई विशेष सामयिक श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया था। चूंकि काम पूरा होने के बाद कार्यालय बंद हो गया इसलिये प्रत्यर्थी की प्रार्थना स्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि प्रत्यर्थी ने वर्तमान अपीलकर्ता की स्थापना में 240 दिन तक काम किया है इसलिये उसकी कार्य मुक्ति सही नहीं है क्याेंकि ये अधिनियम की धारा 25-एफ की अनिवार्य अपेक्षाअेां का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 2(oo) के तहत सेवा से निष्कासन छंटनी के समान है। इस निष्कर्ष के साथ ये अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी पिछले वेतन के 30 प्रतिशत के साथ सेवा में बने रहने के लिये पुनः नियोजित होने का हकदार है। एक रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अप्रकट आदेश द्वारा माना कि श्रम मंत्रालय ने अधिनियम की धारा 25-एफ की अनिवार्य अपेक्षा का उल्लंघन है और इसलिये आदेश को वैधता नहीं है। खंडपीठ भी इसी निष्कर्ष पर पहुंची।

4- अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इसमें कोई विवाद नहीं है नियुक्ति किसी विशेष परियोजना के लिये थी। न्यायाधिकरण ने इन पहलुआेंं को स्पष्ट रूप से आदेश में रखा लेकिन प्रत्यर्थी को राहत दी। यह ध्यान में लिया गया है कि वर्तमान अपीलकर्ता का कार्यालय जयपुर संभाग के अंतर्गत था और संभाग के विभाजन के बाद नया कोटा संभाग बनाया गया है।

5- जवाब में प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि परियोजना पूरी हो चुकी है, लेकिन विभाजन के तथ्य ध्यान में रखते हुये न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष को उचित ठहराया।

6- हमने पाया कि न्यायाधिकरण मामले के उचित परिप्रेक्ष्य पर विचार करने में असफल रहा है। धारा 2(oo)(bb) के प्रभाव में पूर्णतया नजरअंदाज किया गया। यह विवादित नहीं है कि विशिष्ट परियाेजना के लिये ही रोजगार था। न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न सामग्रियों पर कोई चर्चा नहीं हुयी। उच्च न्यायालय के आदेश इस धारा से आगे बढ़े क्योंकि धारा 25-एफ की आवश्यक अपेक्षा की अनुपालना नहीं की गई। अभिनिर्णय न्यायोचित था। अधिनियम की धारा 25-एफ के लागू होने के प्रश्न अधिनियम की धारा 2(oo)(bb) के लागू होने से संबंधित मूल प्रश्न पर निर्भर होगा, ये परिप्रेक्ष्य नजरअंदाज कर दिया गया इसलिये हम मामले को नये सिरे से विचार करने के लिये न्यायाधिकरण को प्रेषित करना उचित समझे हैं। पक्षकार को अपना-अपना समर्थन की सामग्री रखने की अनुमति होगी। चूंकि मामला लंबे समय से लंबित है,

इसलिये हम न्यायाधिकरण से अनुरोध करते हैं कि फैसले की प्रति प्राप्त होने के चार महिने की अवधि में मामला निस्तारित करें।

7- हर्जे के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनुभा सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।